कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
(शमन / स्वीकृत पत्र)

सेवा में,

मै0 आदित्य ब्यूरो बिल्ड प्रा0लि0
द्वारा श्री कुलदीप सिरोही,
सिग्नेचर स्ट्रीट, जी-ब्लॉक, गोविन्दपुरम,
गाजियाबाद।

पत्रांक – 17 / ~~प्रवर्तन~~ / जी.डी.ए. / 2017 दिनांक 01/7/17

विषय : **गोविन्दपुरम योजना के व्यवसायिक भूखण्ड ब्लॉक-जी, गाजियाबाद पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक 19.06.2017 शपथ पत्र एवं शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुसार आपके द्वारा शमन धनराशि ₹ 4,62,000.00 (चार लाख बासठ हजार मात्र) आपके द्वारा प्राधिकरण कोष (विजया बैंक) दिनांक 30.06.2017 में जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में शमनीय निर्माण को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

1. निर्मित भवन के प्रयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार संपूर्ति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी (300.00 वर्ग मी. अथवा इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू)।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
4. शपथ पत्र दिनांक 19.06.2017 व 27.06.2017 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु-2 से 4 तक की शर्तो के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वयं उत्तरदांयी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत मानचित्र निर्गत होने के उपरान्त स्थल पर कोई अन्य निर्माण नहीं किया जायेगा।
8. मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-43362 / 2001 एवं 2435 एम.बी. / 2001 में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन आवेदन एवं प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदांयी होगे।
11. शमनीत भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिये आप स्वयं उत्तरदांयी होंगे।
12. पूर्व स्वीकृत मानचित्र सं.-416 / व्यवसायिक / जोन-3 / 2014-15 दिनांक 27.05.2015 एवं अन्य में दी गयी शर्तो एवं उपरोक्त शर्तो व शपथ पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
13. स्वीकृति के समय मानचित्र पर अंकित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदांयी होंगे।

संलग्नक : शमन मानचित्र की एक प्रति।

अवर अभियन्ता (प्रवर्तन) सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)